

कार्यालय : एस0एम0एम0एच0 मेडिकल कालेज, सहारनपुर।


संख्या:- रा.म.का.स./2015/1047

दिनांक 24.09.2015

निविदा-सूचना

शेखुल हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कालेज सहारनपुर हेतु अनुबन्ध पर बस वाहन लेने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये अधिकृत एजेन्सीयों से मुहरबन्द निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय भाव पक्ष की निविदायें पृथक-पृथक लिफाफों में सील की गयी) आमंत्रित की जाती है। निर्धारित निविदा प्रधानाचार्या, शेखुल हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कालेज, सहारनपुर के कार्यालय से सभी कार्य दिवसों में दिनांक 06.10.2015 से 05.11.2015 तक प्रतिदिन मध्यान्ह 12.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है निविदा शुल्क रू0 100/- तथा वैट 5 प्रतिशत अतिरिक्त सहित जो किसी भी दशा में वापस नहीं होगा का नगद भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं। मुहरबन्द निविदायें (तकनीकी एवं भावपक्ष, मूल एवं प्रतिलिपि अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में) दिनांक 06.11.2015 को अपराह्न 1.00 बजे तक कार्यालय प्रधानाचार्य शेखुल हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज में स्वीकार की जायेंगी। डाक द्वारा भेजी गई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रत्येक निविदा प्रपत्र के लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या एवं आइटम का नाम स्पष्ट रूप से लिखना होगा। निर्धारित समय के अन्तर्गत प्राप्त निविदाओं के तकनीकी भाव पक्ष को दिनांक 06.11.2015 को अपराह्न 2:00 बजे उपलब्ध निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। यदि अंतिम कार्यदिवस पर कोई अवकाश घोषित हो जाता है, तो उसके अगले कार्यदिवस को निर्धारित तिथि माना जायेगा, किसी भी कारण से विलम्ब से प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सभी नियम एव शर्तें जैसा कि निविदा प्रपत्रों में अंकित है, को इस टेण्डर संख्या का अभिन्न अंग माना जाएगा। ई0एम0डी0, एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 फार्म में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से, जो कि प्रधानाचार्य, शेखुल हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कालेज सहारनपुर के नाम से होगी, को निविदा की तकनीकी निविदा के साथ अलग से सीलड कवर लिफाफे में अंकित करते हुए स्वीकार किया जाएगा। आइटम्स की संख्या घटायी व बढ़ायी जा सकती है। प्रधानाचार्य को बिना कारण बताये निविदा स्वीकार एवं अस्वीकार किये जाने अथवा निविदा सूचना में विज्ञापित किसी भी आइटम का क्रय स्थगित/निरस्त करने अथवा नहीं करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में लीगल ज्यूरिडिक्शन जिला-सहारनपुर, उ0प्र0 के मा0 न्यायालय में होगा।

इस निविदा सूचना को उत्तर प्रदेश सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.upgov.nic.in, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट www.updgm.in तथा मेडिकल कालेज की वेबसाइट www.shmmhmedicalcollege.com पर देखा जा सकता है।


प्रधानाचार्या,
शेखुल हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कालेज,
सहारनपुर